आसाराम की उम्रकैद बरकरार, लेकिन ये 2 सह-आरोपी बरी! जानें सच

विषय सूची (Table of Contents):

>> १. आसाराम बापू केस राजस्थान हाई कोर्ट का अहम फैसला, आसाराम की उम्रकैद की सजा बर...
>> हाई कोर्ट में याचिका की स्थिति (Status Check)...
>> २. मामले में मिली बड़ी राहत कौन हैं बरी हुए दो सह-आरोपी शिल्पी और शरद चंद्र?...
>> सह-आरोपियों की भूमिका का संक्षिप्त विवरण...
>> ३. छिंदवाड़ा आश्रम कनेक्शन हॉस्टल वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता पर क्या थे गंभीर आरो...
>> जांच एजेंसी के प्रमुख दावे...
>> ४. सबूतों का अभाव और संदेह का लाभ हाई कोर्ट ने दोनों सह-आरोपियों को क्यों किया ...
>> अदालत की मुख्य टिप्पणियां...
>> ५. फ्लैशबैक २०१३ जानिए क्या था जोधपुर मिशन आश्रम से जुड़ा नाबालिग दुष्कर्म मामल...
>> एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी तक का घटनाक्रम...
>> ६. निचली अदालत से हाई कोर्ट तक २०१८ में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया था मुख्य फैसला...
>> वर्ष 2018 का पॉक्सो कोर्ट निर्णय सारांश...
>> ७. जेल में ही कटेगी जिंदगी खराब स्वास्थ्य की दलीलें खारिज, आसाराम को नहीं मिली ...
>> निष्कर्ष (Conclusion)...
>> आपके सवाल, हमारे जवाब...

राजस्थान हाई कोर्ट ने वर्ष 2013 के चर्चित नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय सुनाया है। अदालत ने मुख्य आरोपी आसाराम की निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को पूरी तरह से बरकरार रखा है। वहीं, इस मामले में सह-आरोपी रहे दो लोगों को राहत प्रदान की गई है।

हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में कानूनी व न्यायिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्य आरोपी की अर्जी खारिज होने के साथ ही सह-आरोपियों की रिहाई के पीछे के कानूनी तथ्यों और सबूतों के विश्लेषण को समझना बेहद जरूरी हो गया है। आइए इस पूरे फैसले और मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से नजर डालते हैं।

देश-दुनिया की अन्य बड़ी खबरों और कानूनी अपडेट्स के साथ-साथ प्रशासनिक बदलावों की जानकारी के लिए आपनवंबर के 6 बड़े बदलाव: बैंक नॉमिनी से लेकर गैस-फास्टैग तक, जानें सबपढ़ सकते हैं।

१. आसाराम बापू केस: राजस्थान हाई कोर्ट का अहम फैसला, आसाराम

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने वर्ष 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य दोषी आसाराम की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। पॉक्सो (POCSO) कोर्ट द्वारा अप्रैल 2018 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हाई कोर्ट ने

न्यायसंगत माना है।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है और अभियुक्त के खिलाफ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर्याप्त व अकाट्य हैं। इस निर्णय के साथ ही आसाराम की सजा में किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद खत्म हो गई है।

हाई कोर्ट में याचिका की स्थिति (Status Check)

निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए आसाराम के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इस याचिका में सजा को निलंबित करने और जमानत देने का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

>> अदालत का नाम:राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर पीठ)

>> मुख्य आरोपी:आसाराम (सजा: आजीवन कारावास बरकरार)

>> मुख्य धाराएं:पॉक्सो अधिनियम, बंधक बनाना, दुष्कर्म

>> ताजा स्थिति (Latest Update 2026):अपील खारिज, जेल में ही रहेंगे आसाराम

२. मामले में मिली बड़ी राहत: कौन हैं बरी हुए दो सह-आरोपी शिल्पी

जहाँ एक ओर मुख्य अभियुक्त को कोई राहत नहीं मिली, वहीं इस हाई कोर्ट फैसले में दो अन्य सह-आरोपियों को बड़ी कानूनी राहत प्राप्त हुई है। अदालत ने हॉस्टल वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता और शरद चंद्र को मामले के सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है।

निचली अदालत ने इन दोनों को साजिश में शामिल होने और पीड़िता को बहला-फुसलाकर आश्रम भेजने के आरोप में सजा सुनाई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने गहन समीक्षा के बाद इन्हें निर्दोष पाया और तत्काल रिहाई के आदेश जारी किए।

सह-आरोपियों की भूमिका का संक्षिप्त विवरण

शिल्पी और शरद चंद्र दोनों ही छिंदवाड़ा आश्रम के प्रबंधन से जुड़े हुए थे। जांच एजेंसियों द्वारा पेश की गई चार्जशीट में इन्हें मुख्य साजिश का हिस्सा माना गया था, जिसे हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाओं व परियोजनाओं की जानकारी के लिएभारत पर भड़का जापान! बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी पर गंभीर आरोपरिपोर्ट भी देखें।

३. छिंदवाड़ा आश्रम कनेक्शन: हॉस्टल वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित आश्रम के कन्या छात्रवास (गर्ल्स हॉस्टल) में शिल्पी उर्फ संचिता वार्डन के पद पर तैनात थी। पुलिस जांच के दौरान आरोप लगाया गया था कि शिल्पी छात्राओं और महिलाओं के प्रबंधन का कार्य देखती थी।

जांच एजेंसियों का दावा था कि जब पीड़िता बीमार पड़ी, तो शिल्पी ने उसके परिजनों को कथित तंत्र-मंत्र और इलाज का झांसा देकर जोधपुर स्थित मणाई आश्रम भेजने की सलाह दी थी। इसी आधार पर उसे आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120B के तहत नामजद किया गया था।

जांच एजेंसी के प्रमुख दावे

>> पीड़िता के परिजनों को गुमराह करके मणाई आश्रम भेजने की सिफारिश करना।

>> छात्रावास में नियमों के विपरीत गतिविधियों में सहयोग का आरोप।

>> मुख्य अभियुक्त के संपर्क में रहकर निर्देशों का पालन करना।

४. सबूतों का अभाव और संदेह का लाभ: हाई कोर्ट ने दोनों सह-आरो

राजस्थान उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई दलीलों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। न्यायमूर्ति की पीठ ने पाया कि शिल्पी और शरद चंद्र के खिलाफ सीधे तौर पर अपराध में शामिल होने के ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार, किसी को षड्यंत्र का दोषी ठहराने के लिए संदेह से परे (Beyond Reasonable Doubt) सबूत होना अनिवार्य है। अदालत ने संदेह का लाभ (Benefit of Doubt) देते हुए दोनों को बरी करने का फैसला सुनाया।

अदालत की मुख्य टिप्पणियां

अदालत ने कहा कि केवल हॉस्टल में पदस्थ होने या सिफारिश करने से आपराधिक षड्यंत्र सिद्ध नहीं होता जब तक कि दुर्भावनापूर्ण मंशा (Mens Rea) के सीधे साक्ष्य न हों।

दैनिक जीवन की रोचक और तकनीकी जानकारियों के लिए पढ़ें:कार के शीशे पर खौलता पानी डाला तो क्या होगा? देखिए लाइव।

५. फ्लैशबैक २०१३: जानिए क्या था जोधपुर मणाई आश्रम से जुड़ा न

यह पूरा मामला अगस्त 2013 का है, जब छिंदवाड़ा आश्रम की एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने सनसनीखेज आरोप लगाए थे। छात्रा के अनुसार, उसे इलाज के बहाने जोधपुर के पास स्थित मणाई आश्रम लाया गया था।

15 अगस्त 2013 की रात को आसाराम ने आश्रम के एक कुटिया में बंधक बनाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना के बाद पीड़िता के परिवार को चुप रहने की धमकियां भी दी गईं, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी तक का घटनाक्रम

>> जीरो एफआईआर (Zero FIR):पीड़िता ने सबसे पहले दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

>> मामला ट्रांसफर:घटना स्थल जोधपुर होने के कारण केस को जोधपुर पुलिस को स्थानांतरित किया गया।

>> गिरफ्तारी:31 अगस्त 2013 की देर रात इंदौर आश्रम से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

६. निचली अदालत से हाई कोर्ट तक: २०१८ में पॉक्सो कोर्ट ने सुन

वर्ष 2013 में गिरफ्तारी के बाद मामला जोधपुर की विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत में चला। लगभग पांच साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 25 अप्रैल 2018 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को धारा 376 (दुष्कर्म), पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं और आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी ठहराते हुए अंतिम सांस तक जेल में रहने यानी प्राकृतिक मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

वर्ष 2018 का पॉक्सो कोर्ट निर्णय सारांश

निचली अदालत ने साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर कठोर सजा दी थी। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी, जिस पर अब अंतिम मुहर लग चुकी है।

७. जेल में ही कटेगी जिंदगी: खराब स्वास्थ्य की दलीलें खारिज,

वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की ओर से मेडिकल ग्राउंड्स पर सजा को निलंबित (Sentence Suspension)

करने के लिए कई बार अर्जियां दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से बढ़ती उम्र और हृदय संबंधी बीमारियों का हवाला दिया गया था।

हाई कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जेल प्रशासन द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। अपराध की भयावहता को देखते हुए किसी भी प्रकार का पेरोल या अंतरिम राहत देना संभव नहीं है।

निष्कर्ष (Conclusion)

राजस्थान उच्च न्यायालय का यह फैसला न्याय व्यवस्था में आम जनता के विश्वास को और सुदृढ़ करता है। जहां एक ओर गंभीर अपराध के मुख्य दोषी को कानून के अनुसार सख्त सजा बरकरार रखी गई है, वहीं दूसरी ओर साक्ष्यों के अभाव में निर्दोष पाए गए सह-आरोपियों को रिहा कर न्याय के संतुलन को कायम रखा गया है।

इस फैसले से स्पष्ट संदेश जाता है कि कानून के समक्ष पद या प्रभाव का कोई मोल नहीं है। पीड़िता को मिले न्याय की इस यात्रा में यह फैसला एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।

आपके सवाल, हमारे जवाब

हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी आसाराम की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है और उनकी अपील याचिका को खारिज कर दिया है।

अदालत ने छिंदवाड़ा आश्रम की हॉस्टल वार्डन शिल्पी उर्फ संचिता और शरद चंद्र को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया है।

हाई कोर्ट ने पाया कि दोनों सह-आरोपियों के खिलाफ मुख्य षड्यंत्र में सीधे तौर पर शामिल होने के पर्याप्त और पुख्ता सबूत नहीं हैं, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ दिया गया।

शिल्पी पर आरोप था कि उसने पीड़िता के परिजनों को गुमराह करके इलाज के बहाने मणाई आश्रम भेजने के लिए प्रेरित किया था।

यह घटना अगस्त 2013 में राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित मणाई आश्रम में घटी थी।

पीड़िता ने सबसे पहले नई दिल्ली के कमला मार्केट थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसे बाद में जोधपुर ट्रांसफर किया गया।

जोधपुर पॉक्सो कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी ठहराते हुए प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी दलीलों को खारिज कर दिया।

आसाराम वर्तमान में राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।

हां, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में एसएलपी (SLP) दायर करने का विकल्प खुला रहता है।